न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—19/2024 दायर दिनांक:—24.10.2024

जीसीएमएस नं.2024/509

गोपालराम पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति कोली निवासी बयाना तहसील बयाना जिला—भरतपुर (राज०)

—प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील सूरौठ, जिला—करौली (राज०)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थर गढी व सीमाज्ञान
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री पीएल गोयल प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 31-1-25

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 128 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 3387/930, रकवा 29 ऐयर स्थित ग्राम सूरौठ, तहसील सूरौठ सायल के कब्जेकास्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर वह काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है. जिससे किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

सायल आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी खातेदारी की भूगि खसरा नम्बर 3387/930 रकवा 29 ऐयर में मौके पर फसल काश्त करते समय आवारा जानवर सायल की फसल को बर्बाद कर देते हैं तथा सायल के खेत की सीमाएं निश्चित रूप से निर्धारित न होने के कारण सायल अपनी भूमि पर तारबंदी भी नहीं कर पा रहा है जिसके कारण उक्त भूमि में बोई हुई अपनी फसल की सुरक्षा नहीं कर पाता है और [illegible] फसल पर काफी नुकसान व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:37:42 IST
Reason: SelfAttested

सायल गरीब, कमजोर व शांतिप्रिय व मेहनत मजदूरी करने वाला तथा कानूनी कायदे को मानने वाला व्यक्ति है तथा उसने अपनीभूमि की सीमाएं निश्चित नहीं होने से भूमि में तारबंदी व पत्थरगढ़ी नहीं कर पाने के कारण उसे काफी

आर्थिक क्षति हो रही है। इस सम्बंध में सायल के द्वारा तहसीलदार सूरीठ के समक्ष भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के लिए दिनांक 21.10.2024 को निवेदन किया तो उन्होंने इस सम्बंध में श्रीमान न्यायालय में चाराजोडी करने के लिए कहा। इसलिये सायल की भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र का मौके पर सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है, ताकि मौके पर भूमि की स्थिति स्पष्ट होकर सायल उसमें तारबंदी कर आवारा जानवरों के घुसने एवं फसल को नष्ट होने से रोक सके और भूमि का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग कर सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सायल की कब्जेकाश्त व खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि आराजी खसरा नम्बर 3387/930 रकवा 29 ऐयर, स्थित ग्राम सूरौठ, तहसील–सूरीठ का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के गैरसायल को आदेश प्रदान करें और इस हेतु गैरसायल को तहरीर जारी फरमायी जावे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा पत्रांक 509 दिनांक 21.11.2024 द्वारा जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. सायल गोपालराम पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति कोली नि. बयाना तह० बयाना जिला भरतपुर ने राजस्व ग्राम सूरीठ में स्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 3387/930 रकबा 0.29 है० की पत्थरगढी हेतु दावा प्रस्तुत किया है।
2. राजस्व ग्राम सूरौठ की वर्तमान जमाबंदी संवत 2077 से स्थायी के खाता संख्या 832 में ख.स. 3387/930 रकबा 0.29 है० किस्म नहरी–2 खातेदार गोपालराम पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति कोली नि० बयाना जिला भरतपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है।
3. मौका स्थिति के अनुसार उक्त खसरा संख्या 3387/930 मौके पर खाली है कोई निर्माण नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त जबाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–[redacted] खाता संख्या 832, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 3387/930 रकवा 29 ऐयर, स्थित ग्राम सूरौठ, तहसील–सूरौठ का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के गैरसायल को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि मौका स्थिति के अनुसार उक्त खसरा संख्या 3387/930 मौके पर खाली है कोई निर्माण नहीं है।

उभयपक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी में जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता संख्या 832, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार तहसील सूरौठ को विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 एल आर एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3387/930 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खातेदारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें एवं प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार सूरौठ के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ 15 दिवस में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर [illegible] न्यायालय में

निर्णय आज दिनांक 3/1/25 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:37:42 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
3/1/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली